

नेशनल लोक अदालत—09 मार्च 2024

यदि आपका कोई मामला मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, आपसी विवाद, मारपीट का विवाद, पारिवारिक विवाद, जमीन संबंधी विवाद से संबंधित है अथवा विद्युत देयक, जल देयक, बैंक लोन से संबंधित कोई प्री-लिटिगेशन प्रकरण है, जिसे आप राजीनामा के आधार पर आपसी समझौते के द्वारा निराकृत कराना चाहते हैं तो आगामी **दिनांक 09 मार्च 2024** दिन शनिवार को जिला न्यायालय महासमुंद और तहसील न्यायालय बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में जहाँ, जहाँ आपका प्रकरण लंबित है, उपस्थित होकर आपसी समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण करवाए।

अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद 07723-222939 एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर हेल्प लाईन नंबर—18002332528 से संपर्क किया जा सकता है।

आदेशानुसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द(छ0ग0)